45

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2829–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–06–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 470/अपील/2012–13.

1–ओमप्रकाश पिता श्री बाबूलालजी,
निवासी सदर बाजार ग्राम मानपुर तहसील महू
जिला इंदौर
2–हरीश पिता श्री बाबूलालजी
निवासी सदर बाजार ग्राम मानपुर तहसील महू
जिला इंदौर
3–महेशकुमार पिता श्री बाबूलालजी
निवासी सदर बाजार ग्राम मानपुर तहसील महू
जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

अशोक पिता शिवदत्तसिंह पाल
निवासी सदर बाजार ग्राम मानपुर तहसील महू
जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम मानपुर तहसील महू स्थित भूमि सर्वे कमांक 417 पैकि रकबा 0.489 हेक्टेयर है, उक्त भूमि पर अनावेदक द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर तारफेंसिंग करा दी गई है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 22–11–2011 को आदेश पारित आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 14–5–2013 को अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–6–14 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 19–10–2016 को आवेदकगण के अनुपस्थित रहने के कारण अनावेदक के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था । अतः प्रकरण के निराकरण में अनावेदक के तर्क व अभिलेख के आधार पर तथा आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर विचार कर किया जा रहा है ।

4/ आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदकगण की भूमि पर अनावेदक द्वारा कब्जा किया जाना तहसील न्यायालय में प्रमाणित होना एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं पंचनामें से भी आवेदकगण की भूमि पर अनावेदक का अवैध कब्जा किया जाना सिद्ध होने के बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अतः तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(2) व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार मात्र क्षेत्राधिकार, न्याय शुल्क एवं अन्य किसी विधि द्वारा वर्जित तथा वाद का कारण स्पष्ट नहीं

होने की दशा में वाद निरस्त किया जा सकता है । उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । आवेदकगण द्वारा स्पष्टतः उनकी भूमि पर अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के बावजूद तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय का रिविजनगत आदेश प्रकरणगत लेख्यसंग्रह, साक्ष्यसंग्रह, अभिवचनों, दस्तावेजों, प्रचलित विधि नियमों, न्यायनीति के प्रतिपादित सिद्धांतों का समुचित रूप से विश्लेषण व अनुसरण किये बिना मात्र कल्पनाओं और अनुमानों के आधारों पर स्वविवेक का उपयोग किये बिना विधि की प्रोप्रायटरी व नियमितता के विपरीत जाकर अधिकारी बाह्य व विधिबाह्य रूप से पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है और सीमांकन के लिये आवेदकगण द्वारा कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसे अवैध सीमांकन के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि अवधि बाह्य था । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन होने के पश्चात् तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में यह साक्ष्य आ चुकी थी कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक अवैध कब्जा है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अनावेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये प्रकरण समाप्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । जहॉ तक

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में तो किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, लेकिन सीधे कब्जा हटाने का आदेश देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि अवैध कब्जे के संबंध में बिना साक्ष्य के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और चूँकि अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकार में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर